

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या- 140/2025 अंतर्गत धारा 90-ए(9) एल.आर.एक्ट
(GCMS No. 2025/190)

अनवान:

1. मै. एकलव्य एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड ए-12, करणी नगर, पवनपुरी, बीकानेर हाल पंजीबद्ध कार्यालय कमरा नंबर 4 चतुर्थ तल, ए-21, सादुलगंज, बीकानेर जरिये निदेशक अविनाश मोदी पुत्र श्री हनुमान प्रसाद मोदी, निवासी ए-21, सादुलगंज, बीकानेर।

.....अपीलांत

बनाम

1. मै. रामपुरिया होटल प्राईवेट लिमिटेड पंजीबद्ध कार्यालय रामपुरिया स्ट्रीट, बीकानेर जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर सुनिल कुमार पुत्र श्री कमल सिंह रामपुरिया, बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलेक्टर, बीकानेर।

.....रेस्पोडेंट्स

28.1.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांत उपस्थित। अभिभाषक अपीलांत ने प्रार्थना पत्र दिनांक 11.11.2025 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी उपरोक्त अनवानी प्रकरण में अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट के मध्य आपसी सहमति से मौके पर किसी भी प्रकार का विवाद शेष नहीं रही है तथा दोनों पक्ष लोक अदालत की भावना से राजीनामा के आधार पर उक्त अपील चलाना नहीं चाहते हैं। अतः उपरोक्त प्रार्थना पत्र विद्धो प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील लोक अदालत की भावना के आधार पर फैसल फरमायी जाने का आदेश करने की कृपा करें।

हमने अभिभाषक अपीलांत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील जिला कलेक्टर बीकानेर द्वारा जारी संपरिवर्तन आदेश दिनांक 25.03.2000 के विरुद्ध इस न्यायालय में विचाराधीन है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलांत इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते एवं विद्धो करना चाहते हैं। अतः अपील अपीलांत जरिये विद्धावल (withdrawal) खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय इस न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित हो। अपील नंबर से कम होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। आदेश सुनाया गया।



(विश्राम गीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर